Commissioner State Tax Uttarakhand

(State Tax Department)

No : 3795/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18

Dehradun :: Dated :: 06November, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20th September, 2017
2.	September, 2017	20th October, 2017.
3.	October, 2017	20th November, 2017
4.	November, 2017	20th December, 2017.
5.	December, 2017	20th January, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

(Sowjanya)
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड
(राज्य कर विभाग)
संख्या 3795 / सी0एस0टी0यू0के0 / जी0एस0टी0–विधि / 2017–18
देहरादून:: दिनांक 06 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करती हूँ कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर–3ख में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:–

सारणी

कम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख
1	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2	सितंबर, 2017	20 अक्टूबर, 2017
3	अक्टूबर, 2017	20 नवंबर, 2017
4	नवंबर, 2017	20 दिसंबर, 2017
5	दिसंबर, 2017	20 जनवरी, 2018

2. **प्ररूप जीएसटीआर–3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय**– प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा दी गई अंतिम तारीख जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलैक्ट्रानिक रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा।

(सौजन्या)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।